सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2012-13/OG-GO/ दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of orders regarding grant of DR 7% from 01.01.2012.
Ref:- 1. Prl. Accountant General (A&E) Uttarakhand SSA No.PA/Pen/UK/ DR/2012-13/1887 Dt.19.09.2012
2. Government of Uttarakhand Finance 143/xxvii(7)02/2012 Dt. 13.06.2012

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

EU 306970488
25/9/12

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून)

(विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत)

पत्रांक : पी0ए0 / पेंशन / उत्तराखण्ड / राहत / 2012–13 / 1887 — दिनांक : 19/9/12

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हक)
O/o. Prl. A.G. (A&E)
INWARD
25 SEP 2012
G.No.
आ प्र हैदराबाद-500 004
A.P. HYDERABAD-500 004

सेवा में,

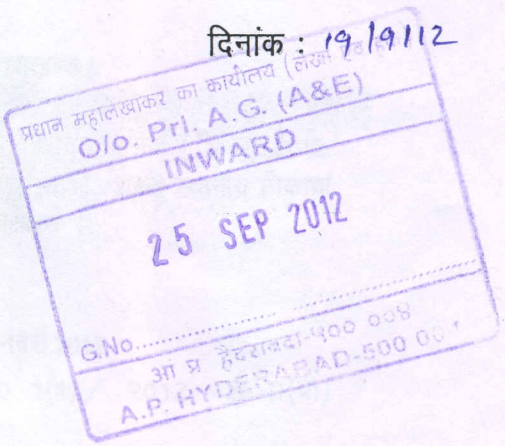

प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

229908
26/9/12

विषयः उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 153 / XXVII (7) 02 / 2012 दिनांक 13.06.2012 को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरो को इसका लाभ मिल सकें।

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

13245

संख्या: 143 / XXVii(7)02 / 2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 19 जून,2012

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से महगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

सन्दर्भ: निम्नलिखित –

1– शासनादेश संख्या:13 / XXVii(7)02 / 2012 दिनाक 21 जनवरी,2012 ।

2 भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप स0 1(1) / 2012 ई–II(बी) दिनांक 03 अप्रैल,2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 13 / XXVii(7) 02 / 2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01 जुलाई,2011 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 58 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 स0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या:13 / XXVii(7)02 / 2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(1) / 2012–ई–II(बी) दिनांक 03 अप्रैल,2012 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 01–01–2012 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599 / दस–42(एम) / 97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2012, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से 30 जून,2012 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जुलाई,2012 से इसका नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या153/XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक 13 जून,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14/xxvii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से महगाई राहत 58 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के कम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 जनवरी,2012 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01–01–2012 से महंगाई राहत की एक और किश्त 7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांक 01–01–2012 से राहत की दर बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO-153/XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 13 June,2012

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 14/XXVII(7)02/2012, dated:21 January,2012 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2011 and to say that the Governor Is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate o 7% (Seven Percent) with effect from 01 January, 2012 i super session of the rates mentioned in the O.M dated: 2 January,2012 refered to above accordingly the rate dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2012 h risen to 65%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a ru shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Se Commission, employees of local bodies and P undertaking/corporation etc. in respect of whom sep orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teachir non-teaching pensioners of Institutions aided from under the education/ Technical Education Depa whose Pension/Family pension is at per with the pen of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-1(dated: April 27, 1982 the Accountant General Auth not necessary for payment of relief of pension and the payment, of dearness relief as admissible und O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearne laid down In earlier Government orders shall applicable as usual.

(Radha Ratu
Secretary